भारत सरकार

कोयला मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 688

जिसका उत्तर 05 फरवरी, 2020 को दिया जाना है

कोयला उत्पादन

688. श्री वाई॰ एस॰ अविनाश रेड्डीः

क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में कोयला उत्पादन आज तक के उच्चतम स्तर तक पहुंच गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कोयले के रिकार्ड उत्पादन के मद्देनजर, सरकार कोयले की पर्याप्त आपूर्ति का आवंटन करके अपने उद्देश्यों हेतु कोयले की कमी का सामना कर रहे राज्यों की समस्याओं को दूर करने पर विचार कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

संसदीय कार्य, कोयला एवं खान मंत्री

(श्री प्रल्हाद जोशी)

(क) तथा (ख): जी हां। अखिल भारत कच्चा कोयला उत्पादन 2013-14 के 565.77 मि.ट. से बढ़कर 2018-19 में 730.35 मि.ट. हो गया है। अखिल भारत कोयला उत्पादन में इस अवधि में 164.58 मि.ट. की पर्याप्त वृद्धि हुई है जबकि पिछले पांच वर्षों में (2008-09 से 2013-14) कोयला उत्पादन में 73.01 मि.ट. की वृद्धि हुई थी। कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) ने अपने उत्पादन को वर्ष 2013-14 के 462.41 मि.ट. से बढ़ाकर 2018-19 में 606.89 मि.ट. कर लिया है, जोकि वर्ष 2008-09 तथा 2013-14 के बीच 58.68 मि.ट. की वृद्धि की तुलना में 144.48 मि.ट. की पर्याप्त वृद्धि है।

(ग) तथा (घ): देश में कोयले की कोई कमी नहीं है। दिनांक 30.01.2020 की स्थिति के अनुसार, विद्युत संयंत्रों के पास कोयले का भंडार 19 दिनों के लिए 34.72 मि.ट. था, जबकि गत वर्ष की इसी तारीख को यह 12 दिनों के लिए 19.95 मि.ट. था,

इसके अलावा, दिनांक 31.01.2020 की स्थिति के अनुसार, कोल इंडिया लिमिटेड के पास विक्रय योग्य कोयले का भंडार 32.31 मि.ट. था जबकि गत वर्ष की इसी तारीख को यह 27.79 मि.ट. था। उपभोक्ताओं द्वारा की गई कोयले की मांग के अनुसार कोयले की आपूर्ति की जा रही है।

यह भी उल्लेख करना प्रासंगिक है कि विभिन्न राज्यों और केन्द्रीय विद्युत उत्पादन कंपनियों को कोयला प्रदान करने हेतु भारत सरकार ने वर्ष 2017 में **शक्ति** नीति लागू की है तथा इसे और अधिक उपभोक्ता अनुकूल बनाने हेतु वर्ष 2019 में इसके उपबंधों में संशोधन किया है।

*****